

FORM No. III
फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुलाबपुरा मुकाम बारासटियों

चान्दमल पिता कन्हैयालाल ब्राह्मण
निवासी- बारणी, तहसील आशीन्द

बनाम रुपा पिता अमरा माली
निवासी- दांतडा

किरम मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नारा-128 रा.जे.रेवे. एकट प्रकरण संख्या- 2217/2018

नगर म सीलिंग
अदालत जे हक
हुकम की नसबिल
ह जारि हु

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयलस अज	
27.06.2018	<p>प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदाश की आराजियात हैं। विपक्षीयण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि मीमा की जानकारी नहीं होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करण रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदाश आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमावंदी संवत् 2073 से 2076 मौजा दांतडा पटवार हल्का दांतडा तहसील हुरडा की आराजी नं 224/3 रकबा 04 बीघा 04 बिरवा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रकबाई होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।</p> <p align="center">-आदेश-</p> <p>प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा दांतडा पटवार हल्का दांतडा तहसील हुरडा की आराजी नं 224/3 रकबा 04 बीघा 04 बिरवा भूमि के पडौसियात को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक- दांतडा को 500/-रुपये (अक्षरे- पाँच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक उक्त आराजी में से जो भूमि एन.एच.आई में गई, उस भूमि को छोडते हुये शेष भूमि की पत्थरगढी करने हेतु कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर द्राखिल दफतर करे। आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
पत्रावली सहायक कलेक्टर
मुलाबपुरा कम्प